राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2021 / दिनांक

–: आदेश :–

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ. ( ) / डीओपी / ए–II / 86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल–14 स्वीकृत की जाती है :–

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1.	डॉ. रूचिका चौधरी	15.01.1993	26.03.2020	25.03.2021	26.03.2021
2.	डॉ. राकेश कुमार चौधरी	03.04.1989	26.03.2020	25.03.2021	26.03.2021
3.	डॉ. कोमल डागरीवाल	29.06.1995	27.03.2020	26.03.2021	27.03.2021
4.	डॉ. अकिंता शिला	01.11.1993	27.03.2020	26.03.2021	27.03.2021
5.	डॉ. कविता वर्मा	03.05.1988	27.03.2020	26.03.2021	27.03.2021
6.	डॉ. अप्सरा कायथ	21.01.1976	28.03.2020	27.03.2021	28.03.2021
7.	डॉ. प्रीति सैनी	23.11.1991	28.03.2020	27.03.2021	28.03.2021

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2021 / 217 दिनांक 15/4/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्व होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर